



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एन.एन.ए. बिल्डिंग, 36 जगमोहन, नई दिल्ली - 110001  
फोन 23353503, फैक्स 23753823

208 / टीडी / 2021

दिनांक : 23.11.2021

## विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-V अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन शेल एनर्जी मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, कैम्पस 4ए, आरएमजेड मिलेनिया विजनेस पार्क-II, 143 डॉ. एमजीआर रोड, कन्दकावादी, पेरुन्गुदी, चेन्नई-600 096 द्वारा, आयोग के समक्ष किया गया है।

2. शेल एनर्जी मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट [www.shell.in](http://www.shell.in) में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक 21.11.2021 के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-V में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।
4. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई है, को उक्त पते पर 23.12.2021 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. आयोग ने 21.12.2021 को अंतिम निपटान के लिए सुनवाई हेतु आवेदन को निर्धारित किया है और कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(सनोज कुमार झा)

सचिव